कम्युनिटी सर्विस

लक्ष्य : स्वच्छ आस-पड़ोस, शून्य कूड़ा

सौजन्य से

पटना कारपोरेशन

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

गीला-सूखा कूड़ा को अलग-अलग रखना ज्यादा आसान है।

किचेन में बचा खाद्य सामग्री/ गीला कूड़ा से कम्पोस्ट

सब्जी, बीज, फल का छिलका

ई-वेस्ट कूड़ा

कम्प्यूटर, सीडी, अन्य

Resource group : Sunai Consultancy; Mo. 903 101 101 9

सूखा कूड़ा

रिसायकल

पुराना कपड़ा, पेपर, अखबार पत्रिका

दूध पाउच

प्लास्टिक बोतल शीशी, डिस्पोजल थाली, गिलास

एल्यूमिनियम

प्लास्टिक मग, बाल्टी, अन्य

घरेलू खतरनाक कूड़ा

(पैक कर अलग से सौंपे)

मेडिकल

टूटा बोतल

ट्यूबलाईट

पेंट डब्बा,

कोस्मेटिक

रेजर ब्लेड

सैनिटरी और मेडिकल कूड़ा

(अखबार में पैक कर लाल निशान लगाकर दें)

डायपर

नेपकिन

सिगरेट बट

अन्य

घर से निकला गीला कूड़ा से जैविक खाद (कम्पोस्ट) बनाना

<u>सामग्री एवं उपकरण (पांच सदस्यों के परिवार के लिये)</u>

1) चपटा पेंदी का 3 कम्पोस्ट बिन (बाल्टी, मिट्टी का घडा इत्यादि) ढक्कन के साथ : 20 लिटर का, पेंदी में 1 छेद एवं चार तरफ 16 छेद।
2) प्लास्टिक की एक कटोरी
3) मेटल रेक (1ft लम्बा, लोहे का पंजा) खाद को पलटने के लिए
4) गलब्स (रबर का) - कूड़ा डालने या खाद पलटने के समय पहने
5) सूखा पत्ता (250 ग्राम) प्रति माह
6) पुराना कम्पोस्टर या भूसी 2 किलो ग्राम प्रति माह

<u>तैयारी</u>

a. कम्पोस्टिंग के लिए 4 वर्गफिट जगह मकान में तय कर लें। यह <u>जगह हवादार हो</u>; वहाँ **धूप नहीं आती हो**। जैसे :- बालकनी, सीढ़ी के नीचे, छत(सीधा **धूप नहीं** पड़ता हो), घर के पीछे, गार्डेन आदि।

b. परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर कम्पोस्ट बिन का आकार तय करें. *जैसे 1सदस्य का गीला कूड़ा प्रतिदिन लगभग 200 ग्राम तक होता है। इस प्रकार यदि परिवार में 4 लोग हैं तो 7 दिन में 6 किग्रा गीला कूड़ा होगा. पॉट का साइज 6 किग्रा का तीन गुणा होगा ~ 18 लीटर आकार का एक पॉट।*

c. तीनों पॉट में प्रत्येक **3** ईंच पर चारों तरफ **4-4** छेद एवं पेंदी में भी 2-3 छेद होना चाहिए।

d. पॉट के अलावा कम्पोस्टिंग के लिए सूची में शामिल सभी सामान को इकट्ठा कर लें।

e. कम्पोस्टिंग पॉट के पेंदी के नीचे प्लास्टिक का कटोरी रखें। इसमें कम्पोस्ट का लिचेट जमा होता है।

घर में जैविक खाद बनने से गीला कूड़ा नहीं निकलता है, बल्कि घर में बचा खाद्य सामग्री खाद बनाने के उपयोग में आ जाता है।

<u>प्रक्रिया</u>

1-7 दिन: प्रतिदिन किसी एक **पॉट में गीला कूड़ा डालें।** कूड़े के ऊपर भूसी या पुराना खाद का छिड़काव करें **ताकि गीला कूड़ा पूरी तरह से ढंक जाए।** पॉट का ढक्कन बंद कर दें।

8 वाँ दिन: बन रहे कम्पोस्ट को मेटल रेक से मिलाएं, ताकि हवा कूड़े के प्रत्येक हिस्से में पहुँच सके। **यदि कूड़ा सुखा हुआ है या सुख जाता है तो पॉट में पानी का छिड़काव करें।** पॉट का ढक्कन बंद कर 14 दिन के लिए छोड़ दें।

8-14 दिन: दूसरे पॉट को उसी बिधि से कूड़ा प्रतिदिन डाले।

प्रत्येक सात दिन पर बन रहे कम्पोस्ट को मेटल रेक से मिला दें ताकि हवा कूड़े के प्रत्येक हिस्से में पहुँच सके।

14 -45 दिन: 14 दिन के बाद कूड़ा को तीसरे डब्बे में डाल कर अगले 45 दिन के लिए छोड़ दें। बन रहे कम्पोस्ट को सप्ताह में एक बार अवश्य मिलाएँ।

शून्य कूड़ा परिवार/ऑफ़िस की संकल्पना

- गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखते हैं।
- पैदा हुए सारे गीले कूड़े एवं सूखे पत्ते का खाद बन जाता है।
- सूखा कूड़ा को रिसायकल के लिए भेज दिया जाता है।
- बाहर खुले में या शहर से बाहर कुछ भी गंदगी नहीं है।
- सभी कर्मियों/सदस्यों को शून्य कूड़ा करने के लिए orientation दिया है।

गीला-कूड़ा से खाद बनाना ज्यादा आसान है, कूड़ागाड़ी को देने की तुलना में

कूड़ा गाड़ी का इन्तजार नहीं,

समय की बचत

गीला कूड़ा से बने खाद

का बागवानी में उपयोग

बागवानी में पैसे की

बचत

घर में बना कम्पोस्ट

गीला-कूड़ा अलग रखना आसान है।

गीला-कूड़ा सिर्फ किचेन में प्रतिदिन सिर्फ 2-3 बार पैदा होता है।

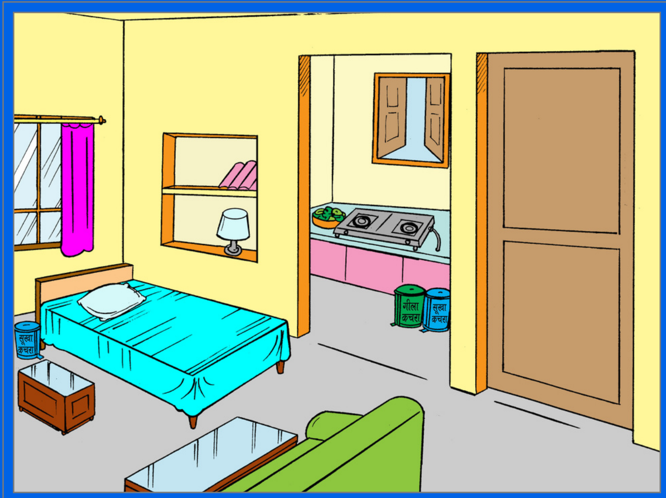

हीन भावना से बचना और सम्मानित महसूस करना

दो दिन भी घर में
कूड़ा रह जाय
तो बदबू
देने लगता है

शहर का बाहरी हिस्से में कूड़ा का पहाड़ बन जाता है - बदबू ही बदबू आता है। आपके कारण ऐसा होता है जबकि वहाँ भी लोग रहते हैं।

यदि सभी परिवार ऐसा करते हैं
तो शहर के बाहरी हिस्सा में कूड़ा
का पहाड़ नहीं बनता है।

बाहर यदि गन्दगी है तो उसमें मेरी
कोई भूमिका नहीं है।

चैन की नींद

मच्छर का प्रकोप घटेगा
या यह ख़त्म भी हो
सकता है।
मक्खी भी नहीं रहेगा।

निवासी सभा
चर्चा - स्वच्छ आस पड़ोस

निवासी सभा

निर्णय श्रेणी 1 :

निवासी खुद क्या करें (सूचना पहुँचाने या सरकार से मॉंग करने के अतिरिक्त)।

निर्णय श्रेणी 2 :

निवासी सरकार/ सेवा-दाता/ जनप्रतिनिधि तक क्या अपेक्षा, सूचना, शिकायत इत्यादि पहुँचाएं।

निवासी सभा – एजेंडा एवं निर्णय प्रपत्र

📞 903 101 101 9

बार्ड/क्षेत्र :			बैठक का स्थान :	तिथि/समय :	बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या :	
क्या सभा की अध्यक्षता जनप्रतिनिधि ने की ? हाँ / नहीं ; यदि नहीं तो अध्यक्षता किसने की उनका नाम–						
क्रम सं0	एजेंडा रखने वाले व्यक्ति का नाम	एजेंडा एवं एजेंडा की वस्तुस्थिति का रिपोर्ट	इस एजेंडा पर निर्णय : निवासी क्या करें *(सूचना पहुँचाने या सरकार से मॉंग करने के अतिरिक्त)*	इस एजेंडा पर निर्णय : निवासी सरकार या सेवा दाता या जनप्रतिनिधितक क्या अपेक्षा, सूचना, शिकायत इत्यादि पहुँचाएं (व्यक्ति जो इस काम को करेंगे एवं कब तक)	निर्णय पर कितने लोगों ने सहमति दी?	निर्णय पर कितने लोगों ने असहमति दी?

अपने क्षेत्र में **निवासियों की बैठक** के लिये महीने की एक दिन, समय और स्थान नियमित किया जा सकता है। *(जैसे महीने का प्रथम सोमवार, चौथा शनिवार इत्यादि)* इस बैठक में आप और अन्य निवासी तय नियमित कार्यक्रम के अनुसार बिना किसी सूचना के बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी बैठकों के लिए अध्यक्षता जन प्रतिनिधि या उपस्थित निवासियों में से ही कोई एक कर सकते हैं।